pan>

Title: Introduction of the Renewable Energy (Promotion and Compulsory Use) Bill, 2016.

श्री भैसें पूसाद क्रिश् (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पूरताव करता हूं कि ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यिधिक निर्भरता, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान वृद्धि, विवाक्त उत्सर्जन एवं पारिस्थितिकीय और जलवायु असंतुलन उत्पन्न होता है, को कम करने के लिए सौर उज्मा, पवन, बायोगैस, शहरी अपशिष्ट, ज्वार भाटा लहरों और भूतापीय जैसे स्रोतों के उपयोग को कितपय स्थापनाओं, परिवारों द्वारा इसके उपयोग को अनिवार्य बनाकर इन स्रोतों से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन और इसके गुरुतर दोहन हेतु तथा पर्यावरण का संरक्षण करने और इस प्रयोजनार्थ एक बोर्ड की स्थापना करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंभिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the promotion and greater exploitation of renewable energy available from sources like solar heat, wind, biogas, urban waste, tides, waves or geothermal sources by making its use compulsory by certain establishments and households in order to reduce the over dependence on fossil fuels for energy needs resulting in global warming, noxious emissions and ecological and climatological imbalances and to protect the environment and for the establishment of a Board for the purpose and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री भैरों पुसाद मिश्न: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित भी करता हूं।